चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

□“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5” के पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल द्वारा थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी की उपस्थिति में शांति देवी इन्टर कॉलेज पहाड़ी में, महिला थानाध्यक्ष श्रीमती नीलम देवी, मुख्य महिला आरक्षी श्रीमती लता द्वारा राजकीय बालिका इन्टर कॉलेज कर्वी में, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार द्वारा थाना भरतकूप परिसर में, उ0नि0 श्री सुभाष राम ,महिला आरक्षी दीक्षा द्वारा ज्योतिराव फूला इण्टर कॉलेज रामनगर थाना रैपुरा में नुक्कड़ नाटक के द्वारा, थाना बहिलपुरवा पुलिस द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय बहिलपुरवा में,थाना मऊ पुलिस द्वारा पंडित शिवकुमार त्रिपाठी विद्यालय मऊ में इसी प्रकार जनपद समस्त एण्टीरोमियों टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं/बालिकाओ, छात्र/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के सम्बन्ध में जाकरूक किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर

अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

(i). थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी मय हमराह आरक्षी राहुल यादव, आरक्षी चालक पवन राजपूत द्वारा मु0अ0सं0 183/25 धारा 137(2), 70(1), 115(2),127(2),351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त मुसम्मी छोटू पुत्र नर्वदा उर्फ बब्बू निवासी ग्राम भोगपुरवां थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी सालिग्राम द्वारा मु0नं0 167/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के वारण्टी अभियुक्त चुनवाद यादव पुत्र ददुआ प्रसाद यादव निवासी साहबतारा मजरा देवारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में थानों पर खड़े वाहनों के निस्तारण के रुप में Operation Clean के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में थाना परिसर बहिलपुरवा में खड़े 06 मोटर साइकिल लावारिस/जब्तशुदा की नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी मानिकपुर द्वारा दिनांक 22.09.2025 के माध्यम से दिनांक 27.09.2025 नियत की गयी जिसके क्रम में आज दिनांक 27.09.2025 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा , तहसीलदार मानिकपुर श्री दयाशंकर वर्मा, प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी एवं हे0मु0 मुन्नालाल की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही थाना बहिलपुरवा परिसर में शुरू की गयी, जिसमें बोली लगाने हेतु उपस्थित 08 व्यक्तियों के सामने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बोली प्रारम्भ की गयी। सभी 06 वाहनो की अन्तिम बोली राकेश कुमार पुत्र रामबालक पाण्डेय निवासी सुभाष नगर मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा 11700/- रुपये बोली गयी जिसे अन्तिम रुप देते हुए कागजात तैयार कर वाहनों को अंतिम बोली दाता को सुपुर्द कर रूकसत किया गया। इस प्रकार थाना परिसर बहिलपुरवा में खडे 06 मोटर साइकिल वाहनों की नीलामी कार्यवाही पूर्ण की गयी ।

(5).दिनांक 21/09/2025 को समय सुबह 9:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति को घायल अवस्था में उपचार हेतु RPF रेलवे स्टेशन मानिकपुर चित्रकूट द्वारा जिला चिकित्सालय सोनेपुर में भर्ती कराया गया था। अज्ञात

व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मृतक उस समय गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जो काफी गंदा होने के कारण जिला अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा कपड़े को बदल दिया गया था।
मृतक की उम्र- लगभग 55 वर्ष
हुलिया – इकहरा बदन, लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच काले/सफेद बाल व लम्बी दाढ़ी है।
पहचान होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सम्पर्क करें-
क्षेत्राधिकारी नगर मो0नं0 9454401356,9305101116
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी मो0नं0 – 9454403205,9305101117

(6).आज दिनांक 28.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा चौकी सीतापुर क्षेत्र टैम्पो स्टैण्ड के पास स्थापित देवी पण्डाल में विधिवत पूजा अर्चना कर सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5.0" के सम्बन्ध में महिलाओं/बालिकाओ, को जागरूक किया गया तत्पश्चात रामघाट पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं

बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।